सं. 10(2)/ई-कोऑर्ड/2015

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

27 जनवरी, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: परिणाम बजट 2015-16 तैयार किए जाने के लिए दिशा-निर्देश।

परिचय

परिणाम बजट, वर्ष 2005-06 से बजट प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन हैं। परिणाम बजट 2015-16 में मोटे तौर पर वित्तीय बजट के भौतिक आयाम तथा वर्ष 2013-14 में वास्तविक भौतिक निष्पादन, वर्ष 2014-15 में दिसम्बर माह तक निष्पादन और वर्ष 2015-16 के दौरान लक्ष्य निष्पादन का उल्लेख होगा।

परिणाम बजट 2015-16 में व्याप्ति का स्वरूप

2. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा इस अपेक्षा से छूट प्राप्त मांगों/विनियोजनों को छोड़कर और उस सीमा तक जहां तक सुरक्षा आदि की दृष्टि से कोई प्रतिबंध न हो, अपनी सभी नियंत्रित मांगों/विनियोजनों के संबंध में परिणाम बजट दस्तावेज अलग से तैयार किए जाएंगे। छूट-प्राप्त मांगों/ विनियोजनों की सूची अनुलग्नक-I पर दी गई है। तथापि, ऐसे मंत्रालयों/विभागों और अन्य प्राधिकरणों जिन्हें परिणाम बजट तैयार करने तथा उसे सार्वजनिक करने से छूट प्राप्त है, से अनुरोध है कि वे आंतरिक प्रयोग के लिए यह कार्य करें और उसे आंशिक या पूर्ण रूप से सार्वजनिक करने के लिए स्वेच्छा से निर्णय लें।

3. जहां तक संभव हो, विभिन्न विकास योजनाओं तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं तथा अजा/अजजा के लाभार्थियों को शामिल करने के लिए उप-लक्ष्य अलग से निर्दिष्ट किए जाने चाहिए।

परिणाम बजट 2015-16 का विस्तृत प्रारूप

4. परिणाम बजट 2015-16, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए अलग-अलग दस्तावेज के रूप में बजट 2015-16 के आधार पर तैयार किया जाएगा जिसमें मोटे तौर पर निम्नलिखित अध्याय शामिल होंगे:

कार्यात्मक सारांश: संगत अध्यायों के सारांश के अतिरिक्त, इस भाग में मुख्य रूप से वर्ष के दौरान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर नियमित निगरानी के लिए और आम जनता को उसके बारे में सूचित

करने के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा स्थापित निगरानी तंत्र और सार्वजनिक सूचना प्रणाली के विवरण का उल्लेख होगा।

अध्याय-I: परिचय

मंत्रालय/विभाग के कार्यों, संगठनात्मक ढांचे, मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची, उसके अधिदेश, लक्ष्यों तथा नीतिगत रूपरेखा के बारे में संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पणी। इस परिचय में विशेष रूप से मंत्रालय के लक्ष्यों, यदि कोई हों, अथवा महिलाओं/लिंग समानता से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों अथवा योजनाओं का उल्लेख होना चाहिए।

अध्याय-II: बजट प्राक्कलन विवरण

इस अध्याय में सारणीबद्ध प्रारूप होगा जिसकी कल्पना व्यय बजट भाग-II (रेलवे के लिए उचित रूप से अनुकूलित प्रारूप के साथ) में शामिल बजट प्राक्कलन विवरण के 'लम्बवत संपीडन एवं क्षैतिज विस्तार' के रूप में की जा सकती है। मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित पृथक मांगों/विनियोजनों के लिए पृथक तालिकाएं हो सकती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य (वित्त) बजट 2015-16 और परिणाम बजट 2015-16 के बीच सीधी समानता स्थापित करना है। इस ब्यौरे में वित्तीय परिव्यय, अनुमानित भौतिक परिणाम तथा अनुमानित/बजट परिणाम (यथास्थिति मध्यम/आंशिक एवं अंतिम) सम्मिलित होंगे। अनुमानित भौतिक परिणाम को जहां संभव और उपयुक्त हो, अर्थात् जहां सेवा व्यक्ति को प्रदान की जाती है, लिंग के आधार पर पृथक किया जाना चाहिए। इन मांगों/विनियोजन-वार तालिकाओं का सांकेतिक प्रारूप अनुलग्नक-II में दिया गया है। जहां आवश्यक हो, व्याख्यात्मक टिप्पणियां उदारतापूर्वक शामिल की जाएं।

अध्याय-III: सुधार उपाय और नीतिगत पहल

इस अध्याय में मंत्रालय/विभाग द्वारा किए गए सुधार उपाय तथा नीतिगत पहल, यदि कोई हो, और इस बात का विवरण होगा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी, वैकल्पिक डिलीवरी तंत्र, सामाजिक एवं महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया, अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता जैसे क्षेत्रों में वे किस प्रकार मध्यम उत्पादनों तथा अंतिम परिणामों से संबंधित हैं।

अध्याय-IV: पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा:

इस अध्याय में कम से कम पहले से निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान कार्य निष्पादन का उल्लेख होना चाहिए। भौतिक कार्य निष्पादन का विश्लेषण, कमी-बेशी के कारणों के साथ योजना-वार होना चाहिए; जिसमें अलग-अलग कार्यक्रमों/योजनाओं की व्याप्ति एवं उद्देश्यों की व्याख्या उनके भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां देते हुए की जाए। व्यक्तियों से संबंधित कार्य निष्पादन संकेतक महिला-पुरुषों के लिए अलग-अलग होने चाहिए।

अध्याय-V: वित्तीय समीक्षा

वित्तीय समीक्षा जिसमें पिछले वर्ष सहित हाल के वर्षों में बजट प्राक्कलनों/संशोधित प्राक्कलनों की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियां शामिल होनी चाहिए। स्वायत्त संस्थाओं के मामले में आंकड़े योजना-वार, उद्देश्य शीर्ष-वार और संस्था-वार पृथक किए जाने चाहिए। बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों तथा राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित बकाया राशि की स्थिति का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

अध्याय-VI: सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा उन्हीं सिद्धांतों पर की जानी चाहिए जिनका अनुसरण मंत्रालय के अपने कार्य निष्पादन के संबंध में रिपोर्ट देने में किया जाता है। इन सिद्धातों में व्यक्तियों से संबंधित कार्य निष्पादन संकेतकों का लिंग के आधार पर पृथक्करण शामिल है।

5. वर्ष 2015-16 के लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए परिणाम बजट 2015-16 के अध्याय-II की विषय-वस्तु के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए:-

(i) मदों का विवरण, बजट 2015-16 के व्यय बजट भाग-II में शामिल बजट प्राक्कलन विवरण में विभिन्न मदों के लिए दर्शाए गए विवरण से मेल खाना चाहिए। तथापि, लघु मदों के अव्यवस्थित होने से बचने तथा महत्वपूर्ण मदों पर विशेष ध्यान देने के लिए छोटी-छोटी मदों को इकट्ठा किया जा सकता है।

(ii) 'पूरक बजट-इतर संसाधनों' का अभिप्राय केन्द्र सरकार से भिन्न निकायों द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रतिबद्ध संसाधनों से है। विशिष्ट रूप से इसमें केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए राज्य सरकारों का समतुल्य हिस्सा अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा निजी पक्षकारों द्वारा संसाधन अंशदान शामिल होगा।

(iii) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम के लिए चालू प्रमुख परियोजनाओं की मदवार सूची के साथ एक अलग तालिका होनी चाहिए। परिणाम बजट केन्द्रीय योजना परिव्यय के सकल बजट सहायता घटक और आंतरिक एवं बजटेतर संसाधन घटक, दोनों को सम्मिलित करते हुए केन्द्रीय योजना परिव्यय के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का परिणाम बजट कोई बजट सहायता न होने पर भी तैयार किया जा सकता है।

(iv) यदि किसी मंत्रालय/विभाग के बड़े स्वायत्त निकाय हों जो वित्तीय सहायता के लिए काफी हद तक सरकार पर आश्रित हैं, तो मंत्रालय/विभाग के मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक ऐसे संगठन के लिए पृथक तालिकाओं पर भी विचार किया जा सकता है।

(v) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अथवा स्वायत्त निकायों से संबंधित तालिकाओं में चालू महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जिनमें संस्वीकृत लागत, कार्य पूरा होने की नियत तारीख, वर्ष के प्रारंभ होने तक कुल संचयी व्यय, वर्ष 2015-16 के दौरान कुल व्यय योजना, पूरा होने की संभावित तारीख और संबंधित 'उत्पादन' एवं 'परिणाम' जैसे ब्यौरे होने चाहिए। व्यक्ति उन्मुख परियोजनाओं के मामले में इन्हें लिंग आधार पर पृथक किया जाए।

(vi) यह आवश्यक नहीं है कि 'अंतिम परिणाम', वार्षिक परिव्यय और 'मध्यवर्ती भौतिक उत्पादनों' के साथ समाप्त हो। अंतिम परिणामों की अवधि, वार्षिक अंतिम परिव्यय तथा तदनुरूप मध्यवर्ती उत्पादनों से अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। जहां 'अंतिम परिणामों' में एक वर्ष से अधिक समय अवधि लगने की संभावना है, वहां अनुमानित समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि यह अवधि चार से पांच वर्ष अथवा इसके अधिक होती है, तो 'आंशिक परिणामों' का वार्षिक आधार पर पता लगाया जाना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक बार पांच वर्ष के पश्चात् यथा-साध्य के रूप में उल्लिखित 'अंतिम परिणामों' को भुलाया नहीं गया है या वर्ष दर वर्ष यंत्रवत रूप में दस्तावेजों में उनकी पुनरावृत्ति नहीं की गई है और कि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति दर्शायी गई है। यह सूचना भी दी जाए कि कोई परियोजना 'प्रारंभिक' स्तर, 'मध्यवर्ती' स्तर या 'अंतिम' स्तर में है।

(vii) जहां 'भौतिक उत्पादन' का तात्पर्य 'अंतिम परिणामों' से है, वहां 'गुणता के उपयुक्त संकेतकों' के माध्यम से 'उत्पादन की गुणता' के मूल्यांकन का वर्णन किया जाना चाहिए।

(viii) जहां 'अंतिम परिणाम', वार्षिक परिव्यय के प्रत्यक्ष परिणाम नहीं हैं, और विगत अनेक वर्षों के परिव्यय का संचयी प्रभाव हैं, वहां इसे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

(ix) परिणाम बजट के 'अंतिम परिणाम' घटक में वार्षिक लक्ष्यों का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अंतिम परिणाम मंत्रालय एवं कार्यक्रम-वार भिन्न-भिन्न होंगे। 'अंतिम परिणामों' जहां संभव हो, की मात्रा की गणना पंचवर्षीय योजनाओं की तर्ज पर पांच वर्ष की समय-सीमा के अंदर की जा सकती है। इन मामलों में 'आंशिक परिणाम' का उल्लेख, उस वर्ष के परिणाम बजट में किया जा सकता है।

(x) जहां 'अंतिम परिणामों' की माप और गणना नहीं की जा सकती, वहां होने वाले संभावित लाभ को समाविष्ट किया जाए।

(xi) व्याख्यात्मक टिप्पणियों में अन्य एजेंसियों जिनसे मंत्रालय/विभाग की किसी विशेष योजना के अभीष्ट परिणामों के फलित होने की अपेक्षा है, की भूमिका और वित्तीय

प्रतिबद्धता स्पष्ट की जानी चाहिए चाहे ऐसी एजेंसी कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो अथवा न हो और चाहे वह पूरक सेवाएं प्रदान कर रही हो।

(xii) आधारभूत अवसंरचना को कायम रखने के लिए गैर-योजना व्यय आवश्यक है और इसके बिना योजना हस्तक्षेप अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए, गैर-योजना व्यय की भूमिका पूरक और सुविधाजनक की है। इसलिए, परिणामों को योजनागत परिणामों और गैर-योजनागत परिणामों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। जहां तक संभव होगा, परिणाम बजट 2015-16 में गैर-योजना व्यय शामिल होगा। बजट सहायता संबंधी कॉलम में दो उप-कॉलम अर्थात 'योजना' तथा 'गैर-योजना' होंगे और परिणामों का संबंध कुल बजट प्रावधान से होगा। बजट प्राक्कलन विवरण में योजनाओं/मदों जिनमें केवल गैर-योजना व्यय है और जिसे कतिपय प्रदेय उत्पादनों से जोड़ा जा सकता है, का उल्लेख परिणाम बजट में होना चाहिए।

(xiii) परिणाम बजट में निम्नलिखित सूचना का भी उल्लेख होना चाहिए:-

(क) सामान्य बचत: संसाधनों के किफायती उपयोग के परिणामस्वरूप हुई बचत;

(ख) अल्प/गैर-उपयोग: परियोजनाओं/स्कीमों का गैर-कार्यान्वयन/निष्पादन में विलंब के कारण बचत; और

(ग) अभ्यर्पण राशि: अप्रचलित/निष्क्रिय परियोजनाओं/स्कीम के कारण या परियोजना/स्कीम के पूर्ण हो जाने के कारण और निधियों की आवश्यकता न रहने के कारण बचत।

6. परिणाम, बजट सहायता, कर छूट/रियायतों तथा माल एवं सेवाओं के प्रापण में तरजीही व्यवहार के माध्यम से सरकारी नीति के अंतिम उद्देश्यों को दर्शाते हैं। यह वांछनीय होगा यदि मंत्रालय/विभाग ऐसे बजटेतर उपायों तथा उनके प्रभावों का ब्यौरा देते हुए परिणाम बजट में एक अध्याय शामिल करें। कतिपय नीतिगत उद्देश्यों के संवर्द्धन में परित्यक्त राजस्व को 'कर व्यय' के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह उपयोगी होगा यदि इस अप्रत्क्ष व्यय के प्रभाव का भी मूल्यांकन किया जाए।

प्रस्तुतीकरण संबंधी कतिपय विशेषताएं:

7. वांछनीय है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रकाशित उपर्युक्त दस्तावेजों में प्रकटीकरण मानदंडों के न्यूनतम सैट के लिए विवरण देने का एक समान स्तर हो; हिंदी एवं अंग्रेजी में अलग-अलग; पाठक के अनुकूल हो और मुद्रण के कतिपय समान प्रारूप को अपनाया जाए। तदनुसार, निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाए:

❖ 100 करोड़ रुपए से कम के कुल बजट प्रावधान (व्यय बजट भाग-II में दर्शाए गए निवल आंकड़ों के अनुसार) वाले विभागों के मामले में, सभी धनराशियां दशमलव के बाद दो अंकों के साथ

'लाख रु' में दर्शाई जाएं। अन्य विभागों के मामले में, धनराशियां दशमलव के बाद दो अंकों के साथ 'करोड़ रु' में दर्शाई जाएं। धनराशियां अल्पविराम (कोमा) के साथ दी जाएं।

- अध्याय-I के प्रथम पृष्ठ से आरंभ करते हुए पूरे दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर सबसे ऊपर अध्याय संख्या, शीर्षक और पृष्ठ संख्या दर्शायी जानी चाहिए। इन दस्तावेजों का मुद्रण, उसी आकार के कागज पर किया जाए जो विस्तृत अनुदान मांगों के लिए प्रयोग किया जाता है।

- दस्तावेज की पठनीयता में सुधार करने के लिए कोई अन्य अनुवृद्धि/परिवर्तन, ग्राफिक्स/चार्ट आदि का समावेश।

8. तथापि, उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का आशय कोई कठोर प्रारूप निर्धारित करने से नहीं है। ये तो मात्र न्यूनतम प्रकटीकरण अपेक्षाओं के लिए निर्देशक हैं और किसी मूल्य संवर्द्धन को प्रतिबंधित नहीं करते जो मंत्रालय/विभाग अपनी ओर से करने का निर्णय लेते हैं।

भावी सुधार योजना

9. मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी जाती है कि वे (i) कार्यान्वयन की गुणता की नाप-तोल और उसके मूल्यांकन के लिए 'कार्यनिष्पादन का परिमेय सूचकांक' विकसित करने; (ii) सेवा प्रदान किए जाने की मानक ईकाई लागत के मानदंड विकसित करने; (iii) पर्यावरणीय परिणामों के मात्रा निर्धारण/समावेश; (iv) सामाजिक पूंजी संरचना के माध्यम से समुदाय एवं सशक्तिकरण परिणामों के मात्रा निर्धारण; (v) प्रचार/जागरूकता फैलाने के लिए निर्धारित धनराशि के प्रभाव का मात्रा निर्धारण; और (vi) लिंग के आधार पर तथा कार्यनिष्पादन और प्रभाव के संकेतक अन्य संगत कारकों द्वारा पृथक करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, वहां विशेषज्ञ एजेंसियों की सहायता से डाटा संकलन प्रणाली यदि पहले से स्थापित नहीं है, स्थापित करें। इससे न केवल पिछली प्रवृत्तियों के आधार पर अपितु बाजारों तथा प्रौद्योगिकी में हुई वर्तमान प्रगति के आधार पर डाटा का संग्रहण किया जा सकेगा। मंत्रालयों/विभागों को लागत संबंधी मुद्दों को हल करने में इस विभाग की लागत लेखा शाखा की सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

स्वतंत्र मूल्यांकन

10. मंत्रालय/विभाग प्रमुख महत्वपूर्ण योजनाओं के भौतिक उत्पादन और अंतिम परिणामों के मुकाबले उपलब्धियों की संवीक्षा/मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं तथा मूल्यांकन एजेंसियों की नियुक्ति कर सकते हैं। योजना आयोग/नीति आयोग अथवा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा संचालित मूल्यांकन अध्ययनों में प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए उचित सावधानी बरती जाए।

समय-सीमा एवं जिम्मेदारी

11. प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् परिणाम बजट- 2015-16 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बजट पेश किए जाने के बाद और बजट सत्र समाप्त होने या यथा-आवश्यक ऐसी किसी तारीख से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जाए।

आपवादिक मामलों में, जहां इन दस्तावेजों को पटल पर रखा जाना व्यवहार्य नहीं है, वहां इन दस्तावेजों को सदन के सचिवालय के माध्यम से माननीय संसद सदस्यों में परिचालित किया जाए। ये दस्तावेज जांच के लिए संसद की विभागीय स्थायी समिति को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मंत्रालयों/विभागों को ये दस्तावेज संसद में पेश करने के पश्चात् अपनी वेबसाइट पर रख कर आम जनता के लिए भी रखने चाहिए।

12. इस दस्तावेज को तैयार करने की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से मंत्रालयों/विभागों की होगी। मंत्रालय/विभाग के वित्त सलाहकार, बजट प्रक्रिया की गोपनीयता पर उचित ध्यान रखते हुए संपूर्ण प्रक्रिया में इस समन्वय के लिए तथा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में विभिन्न अधिकारियों के साथ अथवा वित्त मंत्रालय, योजना आयोग/नीति आयोग, बाह्य विशेषज्ञों के साथ 'आवश्यकता-आधारित परामर्श' के लिए नोडल अधिकारी होंगे। विभिन्न योजनाओं का कार्य देखने वाले विभिन्न प्रभागों के प्रमुखों को आवश्यक मसौदा विवरण एवं अन्य सामग्री वित्त सलाहकार को अग्रिम रूप से उपलब्ध कराने के निदेश दिए जाएं।

13. परिणाम बजट में 'फ्लैगशिप कार्यक्रम', यदि कोई हो, भी शामिल किए जाने चाहिए। 'फ्लैगशिप कार्यक्रमों' के संबंध में प्रारूप परिणाम बजट 2015-16 की विधीक्षा व्यय विभाग (योजना वित्त-।।) और योजना आयोग/नीति आयोग से कराई जाए।

परिणाम बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् अनुवर्ती कार्रवाई

14. परिणाम बजट का वास्तविक महत्व, परिमेय कार्यनिष्पादन के आधार पर सार्वजनिक निधियों के आबंटन और संवितरण के साथ कारगर संपर्क स्थापित करने के लिए एक नीतिगत उपकरण के रूप में इसकी उपयोगिता में है।

15. उपर्युक्त पैरा 4 के अनुसार, मंत्रालय/विभाग को परिणाम बजट में अपने निगरानी तंत्र और जन सूचना प्रणाली का उल्लेख करना चाहिए। इससे कार्यान्वयन एजेंसियां मंत्रालय/विभाग को आवधिक प्रगति रिपोर्टें उपलब्ध करवा सकेंगी। अगला तर्कसंगत उपाय धनराशि के जारी किए जाने को परिणाम बजट में की गई वचनबद्धताओं के मुकाबले में मॉनीटर योग्य वास्तविक प्रगति को प्राप्त करने में हुई प्रगति से जोड़ना है।

16. जैसा कि मंत्रालयों को ज्ञात है, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212 ने 'उपयोग प्रमाणपत्रों' की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। अनुमोदित प्रयोजन के लिए पूरी राशि खर्च किए जाने के वित्तीय प्रमाणीकरण के अलावा उपयोग प्रमाणपत्र में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि क्या उपयोग की गई राशि की तुलना में जो विनिर्दिष्ट, परिमाणित और गुणात्मक लक्ष्य प्राप्त किए जाने चाहिए थे क्या वे लक्ष्य वास्तव में प्राप्त किए गए हैं और यदि नहीं, तो उसके कारण बताएं। उपयोग प्रमाणपत्रों में इनपुट आधारित मूल्यांकन के बजाए आउटपुट आधारित मूल्यांकन होना चाहिए।

17. तदनुसार, धनराशि का क्रमबद्ध और नियंत्रित रूप में जारी किया जाना सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालयों/विभागों को अपनी स्कीमों के लिए लागू दिशा-निर्देशों और पद्धतियों में संशोधन करना चाहिए। ई-बैंकिंग जैसे अन्य व्यय प्रबंधन उपायों के संयोजन से यह सुनिश्चित करना संभव हो सकता है कि वास्तविक आवश्यकता के लिए धनराशि समय से उपलब्ध कराई जाए और कि उसके जारी करने में न तो कोई विलंब हो और न ही उसे किसी दूसरे काम में लगाया जाए और न ही उसे सरकारी खाते से बाहर रखा जाए।

(ऐनी जार्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी सचिव
मंत्रालयों/विभागों के सभी वित्त सलाहकार
मंत्रालयों/विभागों में लेखांकन स्कंधों के सभी प्रमुख

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, योजना आयोग/नीति आयोग।
2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, व्यय विभाग को इस कार्यालय ज्ञापन को वित्त मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट पर डाले जाने के अनुरोध के साथ।

अनुबंध-I

<u>मांग/विनियोजन की सूची जिसके संबंध में परिणाम बजट अनिवार्य नहीं है</u>

परिणाम बजट 2015-16 का अभिप्राय संपूर्ण केन्द्रीय योजना परिव्यय (सकल सहायता और आंतरिक और बजटेतर संसाधन) और संबंधित गैर-योजना प्रावधानों को शामिल करना है जो परिणाम बजट बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। सामान्य तौर पर मंत्रालय/विभाग अपने योजना बजट के 'राज्य योजना के लिए सहायता' घटक को परिणाम बजट के कार्यक्षेत्र से अलग रख सकते हैं। निम्नलिखित मांग/विनियोजन परिणाम बजट के कार्यक्षेत्र से विशेष तौर पर बाहर रखे गए हैं:

रक्षा मंत्रालय
रक्षा पेंशन
रक्षा थल सेना
रक्षा नौ सेना
रक्षा वायु सेना
रक्षा आयुध निर्माणी
रक्षा सेवा अनुसंधान एवं विकास
रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
ब्याज भुगतान
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण
ऋण की अदायगी
पेंशन
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
मंत्रिमंडल
निर्वाचन आयोग
भारत का उच्चतम न्यायालय
संसदीय कार्य मंत्रालय
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
राष्ट्रपति के स्टाफ, परिवार और भत्ते
लोक सभा
राज्य सभा
संघ लोक सेवा आयोग
उप राष्ट्रपति सचिवालय
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
चंडीगढ़
दादर एवं नगर हवेली
दमन एवं दीव
लक्षद्वीप

अनुबंध-।।

परिणाम बजट 2015-16 के अध्याय-।। में तालिकाओं का प्रारूप

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रापरक प्रदेय/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक बजटेतर संसाधन				

टिप्पणियां:

1. कॉलम 2 की मदें व्यय बजट भाग ।। में शामिल बजट अनुमान के विवरण के अनुसार होंगी। बजट अनुमान के विवरण में सूचीबद्ध मुख्य कार्यक्रम अलग से दर्शाए जाएं जबकि बजट प्राक्कलन विवरण की अपेक्षाकृत छोटी मदों को सुविधाजनक रूप से इकट्ठा किया जा सकता है। अपेक्षाकृत अल्प महत्वपूर्ण वित्तीय परिव्यय वाली स्कीमों की छंटाई अथवा मुख्य कार्यक्रमों में उन्हें उपयुक्त तौर पर विलय करने का कार्य अलग से किया जा रहा है।

2. एकमुश्त आबंटन में से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटित की जा सकने वाली राशि सहित योजना बजट के आंकड़ों के साथ व्यय बजट भाग ।। में शामिल बजट अनुमान के विवरण के अनुसार कॉलम 4(i) और 4(ii) के आंकड़े।

3. कॉलम 4(iii) अनुपूरक बजटेतर संसाधन में आंकड़ो का अभिप्राय केन्द्र सरकार से भिन्न संस्थाओं द्वारा इस प्रयोजन हेतु किए गए खर्च से है। विशिष्ट रूप से इसमें केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए राज्य सरकार का बराबर का हिस्सा, अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संसाधनों का अंशदान अथवा निजी पक्षकारों द्वारा संसाधनों का अंशदान शामिल होगा। इस प्रकार इसमें व्यय बजट भाग ।। में शामिल बजट अनुमान के विवरण के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में आईईबीआर आकड़ें शामिल होंगे जिन्हें पाद टिप्पणी के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।